

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प22(108)न्याय/2015


जयपुर, दिनांक 24.5.17

::आज्ञा::

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा संवर्ग के निम्नांकित कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: स.3(2)(04)स्था/अ.अ. अधि/अभि/16/8308-8668 दिनांक 23.05.2017 के क्रम में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु दिनांक 25.05.2017 को मध्याह्न पश्चात् संबंधित विभाग को इन्हें कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	पदस्थापन स्थान
1.	नफीसा बानो	कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर
2.	कृष्ण कुमार शर्मा	कार्यालय नगर परिषद्, करौली
3.	पंकज सिंह यादव	पंचायती राज विभाग
4.	हरगोविन्द शर्मा	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर
5.	गिरधारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
6.	सुशीला	निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर
7.	श्वेता सोनी	ग्रामीण विकास विभाग (अनुभाग- I)
8.	राम प्रकाश कश्यप	कार्यालय नगर परिषद्, धौलपुर
9.	कृष्ण कुमार सैनी	विधि वादकरण (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
10.	अजय विक्रम सिंह	निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर
11.	उमा शंकर शर्मा	निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
12.	कमलेश चौधरी	राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर
13.	अशोक कुमार	कार्यालय नगर परिषद्, अलवर
14.	हंसराज खटीक	कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर)
15.	सोनू महर्षि	उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग (जोन-I), जयपुर
16.	कुशलपाल सिंह	जिला कलक्टर कार्यालय भरतपुर

उक्त कनिष्ठ विधि अधिकारीगण को स्थायी नहीं किया गया है। अतः राजस्थान सेवा नियमों के नियम 15 के अनुसार उक्त कर्मियों का इस विभाग में लियन नहीं रखा जाएगा।


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव